संख्या- 252/2015-4043/नौ-5-15-18रिट/2015

प्रेषक,

उमाशंकर सिंह,
विशेष कार्याधिकारी,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उत्तर प्रदेश जल निगम,
लखनऊ ।

नगर विकास अनुभाग- 5 लखनऊ दिनांक 23 जुलाई, 2015

विषय: इलाहाबाद नगर में 60 एम0एल0डी0 क्षमता नैनी एस0टी0पी0 के निर्माण हेतु परियोजना की निर्धारित लागत की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा पुनरीक्षित एवं मूल लागत के अन्तर/ अवशेष धनराशि का अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम लखनऊ के पत्र स0-जी-69/022-0211/2015, दिनांक 27.03.2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि इलाहाबाद नगर में 60 एम0एल0डी0 क्षमता नैनी एस0टी0पी0 के निर्माण हेतु परियोजना की मूल लागत रू0 1654.81 लाख के सापेक्ष पुनरीक्षित लागत रू0 2254.55 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के साथ ही परियोजना की मूल लागत एवं पुनरीक्षित लागत के अन्तर की रू0 599.74 लाख (रू0 पॉच करोड़ निन्नावे लाख चौहत्तर हजार मात्र) की धनराशि संलग्न बीएम प्रपत्र के अनुसार श्री राज्यपाल एतदद्वारा निम्नलिखित शर्तो के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

(धनराशि रू0 लाख में)

योजना का नाम	मूल लागत	संशोधित/ पुनरीक्षित लागत	पूर्व में अवमुक्त धनराशि	मूल लागत एवं पुनरीक्षित लागत के अन्तर की धनराशि	अवमुक्त की जा रही धनराशि ।
इलाहाबाद नगर में 60 एम0एल0डी0 क्षमता के नैनी एस0टी0पी0 का निर्माण।	1654.81	2254.55	1654.81	599.74	599.74
	योग			599.74	

(1) स्वीकृत धनराशि प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम लखनऊ तथा सचिव/विशेष कार्याधिकारी, नगर विकास विभाग के प्रतिहस्ताक्षरयुक्त बिल प्रस्तुत करके कोषागार/भारतीय स्टेट बैंक से आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर/पीएलए /डिपोजिट खाते में नही रखी जायेगी।

(2) स्वीकृत धनराशि का व्यय एस0एल0पी0 (सी) सी0सी0-20361/2014 एवं 21098/2014 उ0प्र0 जल निगम बनाम मेसर्स ड्रिप्लेक्स वाटर इंजी0 लि0 में मा0 उच्चतम न्यायालय में दिनांक 05.01.2015 तथा 05.01.2015 का अनुपालन किया जायेगा।

go finance mangal font

(3) पुनरीक्षित प्रायोजना में प्रस्ताव में सम्मिलित कार्य तथा उसके सापेक्ष की धनराशि को सथावत् मानते हुए प्रायोजना की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की जा रही है। अतः आगणन के विरचन के लिए उ0प्र0 जल निगम के सम्बन्धित अभियंता मुख्य अभियंता (कानपुर क्षेत्र कानपुर) पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगे।

(4) मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में याची को देय धनराशि की गणना पुनः कराकर तथा संतुष्ट होने के उपरान्त याची को भुगतान किया जाय।

(5) प्रश्नगत सवीकृत धनराशि में यदि कोई धनराशि शेष रह जाती है, तो उसे राजकोष में जमा कराकर सूचना शासन को तत्काल उपलब्ध करायी जाय।

2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-2016 के आय- व्ययक के अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत आयोनागत लेखाशीर्षक "2215-जल पूर्ति तथा सफाई-01-जलापूर्ति-193-नगर पंचायतों/अधिसूचित क्षेत्र समितियों या उनके समतुल्य निकायों कौं सहायता-04-उ0प्र0 व्यापार विकास निधि से व्यय -0401-नगरीय निकायों के पेयजल कार्यो हेतु-35-पूँजीगत परिसम्पतियों के सृजन हेतु अनुदान से आहरित कर लेखाशीर्षक "2215-जल पूर्ति तथा सफाई-02-जल-मल तथा सफाई-191-नगर निगमों को सहायता-041-उ0प्र0 व्यापार विकास निधि से व्यय-0401-नगरीय निकायों के सीवरेज कार्यो हेतु-35-पूँजीगत परिसम्पतियों के सृजन हेतु अनुदान"के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 30.03.2015 के प्रस्तर-2(17) में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं ।

भवदीय

(उमाशंकर सिंह)
विशेष कार्याधिकारी ।

संख्या-252/2015-4043/नौ-5-15-18रिट/2015

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार (वर्क्स लेखा अनुभाग), उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2. जिलाधिकारी, लखनऊ /इलाहाबाद।
3. कोषाधिकारी, कलेक्टेट कम्पाउण्ड लखनऊ।
4. निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
5 प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
6. मुख्य अभियंता,(इलाहाबाद क्षे0), उ0प्र0 जल निगम, इलाहाबाद।
7 महाप्रबन्धक, गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई, उ0प्र0 जल निगम, इलाहाबाद।
8 परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 जल निगम इलाहाबाद।
9. अधिशासी अभियंता, उ0प्र0 जल निगम इलाहाबाद ।
10 नगर आयुक्त, नगर निगम इलाहाबाद।
11 वित्त आय-व्ययक अनुभाग-1/2 (तीन प्रतियों में)
12 गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से,

(उमाशंकर सिंह)
विशेष कार्याधिकारी।

go finance mangal font

फार्म बी0एम0-9 (भाग-1)

पुनर्विनियोग की स्वीकृति के लिये आवेदन

(बजट मैनुअल का प्रस्तर-158 देखें)

(इस प्रपत्र को भरने से पूर्व छपे अनुदेशों को भली-भांति देख लिया जाय)

संख्या व नाम- अनुदान संख्या-37 नगर विकास विभाग (निर्माण कार्य) पूँजी लेखा वित्तीय वर्ष 2015-16

(धनराशि हजार रू. में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखाशीर्ष (15 डिजिट कोड में) आयोजनागत	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/ विनियोग	आवदेन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान/ विनियोग (2-5)
1 इलाहाबाद	2	3	4	5	6
"2215- जल पूर्ति तथा सफाई 01-जलापूर्ति-193-नगर पंचायतों /अधिसूचित क्षेत्र समितियों या उनके समतुल्य निकायों को सहायता- 04 उ0प्र0 व्यापार विकास निधि से व्यय-0401-नगरीय निकायों के कार्यो हेतु-35- पूँजीगत परिसम्पतियों के सृजन हेतु अनुदान"	400000	59974	59974	59974	340026
योग	400000	59974	59974	59974	340026

निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखाशीर्ष (15 डिजिट कोड में) आयोजनागत	वित्तीय वर्ष के लिये उपलब्ध अनुदान/ विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9-8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात उपलब्ध अनुदान/ विनियोग (8+11)
7	8	9	10	11	12
"2215-जलपूर्ति तथा सफाई-02-मल जल तथा सफाई-191-नगर निगमों को सहायता-04-उत्तर प्रदेश व्यापार विकास निधि से व्यय-0401-नगरीय निकायों के सीवरेज कार्यो हेतु-35-पूंजीगत परिसम्पतियों के सृजन हेतु अनुदान"	150000	209974	59974	59974	209974
योग	150000	209974	59974	59974	209974

स्तम्भ-3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है-:

(1) नगर पंचायत हेड में सीवरेज कार्यो के परिपक्व प्रस्ताव उपलब्ध न होने के कारण बचत हो रही है।

(2) स्तम्भ 8-में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ 9-में अंकित अधिक व्यय निम्नलिखित कारणों से है -:

नगर निगमो के माइनर हेड में पेयजल कार्य हेतु आवश्यक धनराशि उपलब्ध न होने के कारण परिपक्व प्रस्ताव के सापेक्ष अधिक धनराशि की आवश्यकता है।

(3)प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उ.प्र. बजट मैनुअल के प्रस्तर-150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

(उमाशंकर सिंह)
विशेष कार्याधिकारी,
नगर विकास विभाग।

आर0ई0संख्या-45 ई-8- /दस-2015, दिनांक 14.07.2015

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

(सुभाष चन्द्र)
अनु सचिव,
वित्त विभाग।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (वर्क्स लेखा अनुभाग), उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2. जिलाधिकारी, लखनऊ /इलाहाबाद।
3. कोषाधिकारी, कलेक्टेट कम्पाउण्ड लखनऊ।
4. निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
6. मुख्य अभियंता,(इलाहाबाद क्षे0), उ0प्र0 जल निगम, इलाहाबाद।
7. महाप्रबन्धक, गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई, उ0प्र0 जल निगम, इलाहाबाद।
8. अधिशासी अभियंता, उ0प्र0 जल निगम इलाहाबाद ।
9. नगर आयुक्त, नगर निगम इलाहाबाद।
10. वित्त आय-व्ययक अनुभाग-1/2 (तीन प्रतियों में)
11. गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल।

(उमाशंकर सिंह)
विशेष कार्याधिकारी,
नगर विकास विभाग।